

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौडगढ़

अनवान

1. शान्ता उर्फ बाली पिता देवजी पति मदनलाल उर्फ दोलतराम जाति ब्राह्मण आयु बालिग निवासी सिंहाणा हाल निवासी नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़।
2. रामपाल बाई पिता देवजी पति रूपनारायण जाति ब्राह्मण आयु बालिग निवासी सिंहाणा हाल निवासी सोनीयाणा तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़।

वादीगण

बनाम

1. देवजी पिता फता जाति ब्राह्मण आयु बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़।
2. रामप्रसाद पिता देव जी ब्राह्मण आयु बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़।
3. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
4. श्रीमान पटवारी साहब पटवार हल्का सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़।

प्रतिवादीगण

-:: वादपत्र खातेदारी अधिकार की घोषण, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::-

प्रकरण संख्या :- 040/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्री रोशनलाल शर्मा अधिवक्ता वादी श्री केएलरेगर अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा सिंहाणा पटवार हल्का सिंहाणा तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 410 रकबा 8.12 बीघा आराजी संख्या 596/2382 रकबा 4-00 बीघा आराजी संख्या 605 रकबा 4.05 बीघा आराजी संख्या 609 रकबा 8.10 बीघा आराजी संख्या 706 रकबा 1.08 बीघा आराजी संख्या 707 रकबा 0.02 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 26.17 बीघा का प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में शान्ता उर्फ बाली पिता देवजी 1/16, रामपाल बाई पिता देवजी 1/16, देवजी पिता फता ब्रा01/16, रामप्रसाद पिता देवजी 1/16, आराजी संख्या 597 रकबा 0.04 बीघा आराजी संख्या 598 रकबा 5.01 बीघा आराजी संख्या 599 रकबा 5.12 बीघा आराजी संख्या 601 रकबा 0.01 बीघा आराजी संख्या 602 रकबा 0.03 बीघा आराजी संख्या 603 रकबा 6.17 बीघा आराजी संख्या 604 रकबा 17.05 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 35.03 बीघा का प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में शान्ता उर्फ बाली पिता देवजी 1/48, रामपाल बाई पिता देवजी 1/48, देवजी पिता फता ब्रा01/48, रामप्रसाद पिता देवजी 1/48, एवं आराजी संख्या 596 रकबा 57.10 बीघा का प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में शान्ता उर्फ बाली पिता देवजी 1/48, रामपाल बाई पिता देवजी 1/48, देवजी पिता फता ब्रा01/48, रामप्रसाद पिता देवजी 1/48 हक हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदनुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किया जावे शेष अंकन बदस्तूर किया जावे। साथ ही पक्षवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई



(नीता प्रसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)



निषेधाज्ञा इस आशय की दी जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण का हक हिस्सा राज्य रेकार्ड में दर्ज होने तक किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करावें। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नीता कर्सीदा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशिकी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		



(नीता कर्सीदा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशिकी